

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

“राज्य योजना” अन्तर्गत

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/2026-27

केवल ई० निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
संवेदकों से प्रतिशत दर पर निविदा

पत्रांक--: 577 / लखीसराय, दिनांक : 17/04 / 2026

1	विज्ञापनदाता का नाम	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय।
2	विज्ञापन निर्गत करने की तिथि	दिनांक-17/04/2026
3	परिमाण विपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक-07/05/2026 से दिनांक-13/05/2026 के अपराह्न 5.00 बजे तक सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
4	प्री-बीड मीटिंग का स्थान, तिथि एवं समय	मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय में दिनांक-09/05/2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक।
5	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक-13/05/2026 को अपराह्न 5.00 बजे तक सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर।
6	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक-14/05/2026 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से प्रमंडलीय कार्यालय में।
7	तकनीकी निविदाओं का मुल्यांकन	दिनांक-14/05/2026 से लगातार।
8	वित्तीय बीड खोलने की तिथि	सक्षम प्राधिकार द्वारा बाद में घोषित किया जायेगा।
9	निविदा की वैधता की अवधि	120 दिन
10	कार्य की विवरणी -	


क्र०	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	पंचायत	ग्राम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन को राशि (लाख में)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतये) (रुपये में)	बेड्रॉन को देय बीड प्रोसेसिंग मूल्य, सेवा शुल्क सहित (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतये) (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	बल्लोपुर आहर/पोखर का जीर्णोद्धार कार्य।	लखीसराय	हलसी	बल्लोपुर	बल्लोपुर	140.261	280600.00	10000.00	3540.00	12 माह
2	महरथ तालाब/आहर का जीर्णोद्धार कार्य।	लखीसराय	हलसी	बल्लोपुर	महरथ	164.267	328600.00	10000.00	3540.00	12 माह
कुल:-						304.528				

- 11 (i) 25 लाख से अधिक एवं दो करोड़ से कम राशि की निविदा में लघु जल संसाधन विभाग का निबंधन मान्य होगा।
- 12 इस विज्ञप्ति की सभी कंडिका/शर्तें एकरारनामा का अंश समझी जायेगी।
- 13 (क) E-Tendring/E-procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बीड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान Online Mode (E-payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card) Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।
- (ख) E-Tendring/E-procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online Mode (E-payment Mode) अथवा Physical Payment System में स्वीकार होगा। Online Mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit card) Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।
- (ग) "Bids along with necessary online payments must be submitted through E.procurement Portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time of submission mentioned in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/non submission of Tender/Non Reconciliation of online payment caused due to non availability of Internet connection, Network Traffic Jam/Holidays or any other reasons".
- (घ) "BSEDC processing fee and Tender Fee/BOQ fee has to be paid through E-payment mode only. EMD may be paid either through Online or Offline mode."

- 14 Physical mode/Manual Payment system के तहत अग्रधन की राशि मात्र बिना शर्तवाली बैंक गारन्टी (as per the format in SBD) जो बीड के मान्य अवधि एवं 45 दिनों (120 दिन + 45 दिन=165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से/वित्त नियमावली में प्रावधानित किसी भी रूप में होना चाहिए, जो कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय के पदनाम से प्रतिज्ञप्ति होना चाहिए। लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक-147 (मो०) दिनांक-31.01.2024 एवं पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के ज्ञापक-163 (E) दिनांक-10.01.2024 का अनुपालन करना होगा। परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र की राशि के अनुरूप 2 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में देना होगा। इसमें बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के कंडिका 162 मान्य होगा। अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित बैंक गारंटी निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड होने की तिथि के बीच निर्गत होना चाहिए। ऐसा नहीं रहने पर संवेदक को अमान्य कर दिया जायेगा।
- 15 संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भरकर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात या अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण-पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है, का स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 16 संवेदक मूल कागजातों को स्कैन कर अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रम अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख PDF, M.S. Office (Compatibility Mode) JPEG, ZIP Format में ही अपलोड किया जाये अन्य Format में Upload document के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 17 संवेदक कागजातों की Download एवं Visibility से पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लेंगे। संलग्न कागजात अपठनीय या अस्पष्ट रहने की स्थिति में उस कागजात पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 18 इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदक को चाहिए कि तकनीकी कारणों के कारण अंतिम समय के कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को पूर्व में ही अपलोड कर लें।
- 19 अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय) अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-1010 (मो०) दिनांक-18.07.2023 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No- 9941/2022 द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
- 20 मिट्टी कार्य मद के लिए अनुसूचित दर स अधिक अथवा कम उद्धृत दर की गणना खनन कर (Royalty) घटाकर की जायेगी।
- 21 निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न सभी कागजातों की सत्यता के सम्बन्ध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र (जो निविदा सूचना प्रकाशन के बाद का हो) Eproc2 पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक-147 (मो०) दिनांक-31.01.2024 एवं पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के ज्ञापक-163 (E) दिनांक-10.01.2024 का अनुपालन करना होगा।
यह शपथ पत्र जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि "I, the undersigned, do thereby certify that all statement made in the require attachments are ture and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as black listing." Eproc2 पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- 22 लोकहित/कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए जैसे सभी निविदादाताओं को निविदा को अमान्य कर दिया जाएगा जिनके विरुद्ध पूर्व में निष्पादित/प्रक्रियाधीन निविदाओं में संलग्न किये गये कागजातों/अभिलेखों के फर्जी होने का साक्ष्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये हैं या उनके विरुद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 एवं निविदा में निहित शर्तों के आलोक में एफ० आई० आर० दर्ज करने एवं डिबार/कालीकृत करने की कार्रवाई की गयी है या प्रक्रियाधीन है।
- 23 Eligibility Criteria के लिए लघु जल संसाधन विभाग का पत्रांक-1374 (मो०), दिनांक 05.12.2017 एवं 746 (मो०), दिनांक 04.08.2021 तथा पत्रांक 1046 (मो०), दिनांक 29.05.2020 का पालन किया जायेगा।
- 24 किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

- 25 प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। निविदा कागजात में अंकित प्राक्कलित राशि एवं अग्रधन की राशि मान्य होगी।
- 26 निविदा का एकरारनामा F₂ Form में कार्य की राशि के अनुसार किया जायेगा। F₂ एकरारनामा में कडिका-23 विलोपित रहेगा।
- 27 निविदा देने के पूर्व संवेदक प्रस्तावित कार्य स्थल से अवगत हो लेंगे। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदि किसी कारण कार्य तुरंत शुरू होने में कोई दिक्कत (स्थानीय ग्रामीणों, अतिक्रमण इत्यादि) होने की संभावना हो तो कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय को सूचित करेंगे। ऐसी सभी संभावनाओं को प्री बोड मीटिंग में अनिवार्य रूप से बताया जाय। अतः संवेदक से आशा की जाती है कि वे प्री बोड मीटिंग में आने से पूर्व स्थल का पूरा भ्रमण कर लेंगे एवं स्थानीय मुखिया एवं ग्रामीणों से भी संर्षक कर लेंगे।
- 28 कार्य का भुगतान विभाग द्वारा निधि की उपलब्धता के पश्चात् किया जायेगा। विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा साथ ही इस संबंध में आपका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 29 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 30 अनावश्यक कागजात वांछित नहीं होगा।
- 31 बिहार भवन एवं सन्निमार्ग कर्मकार बोर्ड क मद में संवेदक के प्रत्येक विपत्र से 1% (एक प्रतिशत) राशि लेबर शेष के रूप में देय होगी जो विपत्र से काट ली जायेगी।
- 32 यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्ति की तिथि को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यकारी दिन को नियत समय पर प्राप्त की जाएगी एवं खाली जायेगी।
- 33 समय-समय पर बिहार सरकार द्वारा दिया गया अनुदेश, निविदा एवं एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा।
- 34 चरित्र प्रमाण-पत्र एवं सभी मूल शपथ पत्र एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियन्ता लघु सिंचाई प्रमंडल लखीसराय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। चरित्र प्रमाण-पत्र संबंधित जिला के एस0 पी0 कार्यालय से निर्गत होना चाहिए।
- 35 कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच संवेदक को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर कराना आवश्यक होगा।
- 36 इस निविदा में वैस निविदाकारों के निविदा पर विचार किया जाएगा, जो किसी भी विभाग से Blacklisted/Debarred नहीं हो एवं उनके स्तर पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा आवंटित कोई कार्य, कार्य समाप्ति की अवधि तक लंबित नहीं है। इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा।
- 37 संवेदक का कार्य के दौरान विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के साथ सचरित्रता एवं सद्व्यवहारिकता से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 38 कोई निकटतम सम्बन्धी /परिवारिक सम्बन्धी (अभिप्रेरित पति, पत्नी, माता, पिता, भाई बहन एवं ससुराल से सम्बन्धी सदस्य) विभाग के संबंधित कार्यालयों में कार्यरत नहीं है से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 39 बिना कारण बताये एवं बिना पूर्व सूचना के पूरी निविदा अथवा इसके किसी खास अंश को किसी भी स्तर पर रद्द करने एवं विस्तारित करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी/सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित होगा।

- 40 विशिष जानकारी हेतु कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय/अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर के कार्यालय में काय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है तथा ईटेंडरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु Toll Free Number :1800 572 6571 सहायता कक्ष Mjunction Services Limited RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S- Shastri Nagar, Patna-800 014, Bihar पर Working Hours : 8AM to 7PM (All days in week except Sunday and few selected state holidays) संपर्क किया जा सकता है।
- 41 संवेदक को निविदा के साथ अपना पत्राचार पता एवं स्थायी पता, ई-मेल एवं दूरभाष संख्या या मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा।
- 42 तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का समान न्यूनतम निविदा दर की स्थिति में सफल निविदादाताओं का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- 43 बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों के तहत जी0 एस0 टी0/स्वामित्व/मालिकाना फीस की कटौती किया जायेगा।
- 44 सभी तरह का शपथ पत्र निविदा निर्गत होने की तिथि के बाद का ही मान्य होगा।
- 45 Key Tools And Equipment के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक 746 (मो0) दिनांक 04.08.2021 के आलोक में निविदा के Technical Sheet में कार्य की मात्रा के अनुरूप माग की जायेगी।
- 46 Eligibility Criteria के लिए लघु जल संसाधन विभाग का पत्रांक 1046 (मो0) दिनांक-29.05.2020 का पालन किया जायेगा।
- 47 निविदाकारों द्वारा निविदा कागजातों के साथ संलग्न सभी कागजातों की सत्यता के सम्बन्ध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र (जो निविदा सूचना प्रकाशन के बाद का हो) लघु जल संसाधन विभाग बिहार पटना के पत्रांक-147 (मो0) दिनांक-31.01.2024 एवं पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक-163 (E) दिनांक-10.01.2024 का अनुपालन करना होगा।
- 48 खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-4418/एम0, पटना, दिनांक-19.10.2024 के अनुसार कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों का चालान अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा। चालान नही जमा करने पर पत्र में दिये गये निर्देश के अनुसार रायल्टी का 25 गुणा कटौती की जाएगी।
- 49 किसी प्रकार का आपत्ति निविदा में भाग लेने वाले संवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर शपथ पत्र के साथ देने पर ही विचार किया जाएगा।


कार्यपालक अभियन्ता
लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय।